



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2015/कार्तिक 8, 1937

No.2355]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/KARTIKA 8, 1937

इस्पात मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2957(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 में और संशोधन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है, नामतः-

- 1- (1) यह आदेश इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय (संशोधन) आदेश, 2015 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा
- 2- इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2012 की अनुसूची की क्रम सं. 01 में भारतीय मानक संख्या 2002 से संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी नामतः :-

	(1)	(2)	(3)	(4)	
				(क) उत्पाद	(ख) निम्न तारीख से प्रभावी
"1.	200 2	मध्यवर्ती और उच्च ताप सेवाएं जिसके अंतर्गत बॉयलर भी	72085110 72085120 72085210 72085220 72111300 72111420	(क) पराध्वनिक परीक्षणों की दशा में 150 मिलीमीटर से अधिक मोटाई की प्लेटें	1 अप्रैल, 2016

	है, के लिए दाब पात्र के लिए स्टील प्लेट.	72111490	(ख) पराध्वनिक परीक्षणों की दशा में 85 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 150 मिलीमीटर से अनधिक मोटाई की प्लेटें	1 जुलाई, 2014
		72119011		
		72119090		
			(ग) पराध्वनिक परीक्षणों की दशा में 80 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 85 मिलीमीटर से अनधिक मोटाई की प्लेटें	1 अप्रैल, 2014
			(घ) 16 मिलीमीटर से न्यून मोटाई और 3500 मिलीमीटर से अधिक चौड़ाई की प्लेटें	1 अप्रैल, 2014
			(ड.) उपर्युक्त (क), (ख) (ग) और (घ) को छोड़कर अन्य उत्पादों के लिए	12 सितम्बर, 2012"

[फा.सं. 1(6)/2014-टीडब्ल्यू]

सय्यदैन अब्बासी, संयुक्त सचिव

नोट:- मूल आदेश का.आ. 415 (अ) दिनांक 12 मार्च 2012 की अधिसूचना के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसे कि बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 2128(अ) दिनांक 10 सितम्बर, 2012, का.आ. 2510(अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 और का.आ.450(अ) दिनांक 15 फरवरी, 2013, का.आ. 853 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2013, का.आ.3011 (अ) दिनांक 1 अक्टूबर, 2013, का.आ. 979(अ) दिनांक 31 मार्च, 2014 तथा का.आ. 3064 (अ) दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 से संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF STEEL

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2015

S.O. 2957(E).—).- In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following order further to amend the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, namely :--

1. Short title and commencement .- (1) This Order may be called the Steel and Steel Products (Quality Control) Second (Amendment) Order, 2015.

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2012, in the Schedule, against Sl. No. 1 relating to the Indian Standard number 2002, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

	(1)	(2)	(3)	(4)	
				(A) Product	(B) With effect from
“1.	2002	Steel plates for pressure vessels for intermediate and high temperature service including boilers	72085110	(a) Plates of thickness more than 150 mm in Ultrasonic Tested condition;	1 st April, 2016
			72085120	(b) Plates of thickness more than 85 mm but not exceeding 150 mm in Ultrasonic Tested condition;	1 st July, 2014
			72085210		
			72085220	(c) Plates of thickness more than 80 mm but not exceeding 85 mm in Ultrasonic Tested condition;	1 st April, 2014
			72111300		
			72111420		
72111490					
72119011	(d) Plates of thickness less than 16 mm but width more than 3500 mm;	1 st April, 2014			
72119090	(e) for other products excluding (a), (b), (c) and (d) above	12 th September, 2012”			

[F. No. 1(6)/2014-TW]
SYEDAIN ABBASI, Jt. Secy.

Note .— The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 415(E), dated the 12th March, 2012 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2128(E), dated the 10th September, 2012 ; S.O. 2510(E), dated the 17th October, 2012, S.O. 450(E), dated the 15th February, 2013, S.O. 853(E) dated the 28th March 2013, S.O. 3011(E) dated the 1st October 2013, S.O. 979(E) dated 31st March, 2014 and S. O. 3064(E) dated 4th December, 2014